शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 मार्च 2024
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा की उत्तर क्रिया

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

वैश्वीकरण के बाद हिन्दी भाषा ने विज्ञान, तकनीक, व्यवसाय, मनोरंजन के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगायी है। दैनंदिन व्यवहार में हिन्दी भाषा ने अपनी पैठ बना ली है। शीर्ष नेतृत्व का आश्रय पाकर हिन्दी भाषा को पंख लग गये हैं। हिन्दी भाषा ने अपना विस्तार मोर के पंख की भांति किया है, जिसे देखकर हम अपने आप पर मुग्ध हुए बिना रह सकते। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि शिक्षा क्षेत्र में हिन्दी भाषा की ओर जाती है, हमारे नेत्रों से आंसू भले ही न टपके पर दिल में टीस अवश्य उठती है। हिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी भाषा की दुर्दशा का वारापार नहीं है। यद्यपि नयी शिक्षा नीति में हिन्दी और मातृभाषा के अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसके बावजूद संदेह बना हुआ है। नवीं कक्षा से त्रिभाषा सूत्र को नये सिरे से परिभाषित किया गया है और अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दो भारतीय भाषाओं का चयन करने का प्रावधान है। एक मातृभाषा और दूसरी परंपरागत भाषा में संस्कृत भाषा रहेगी। मातृभाषा के अंतर्गत जिस प्रांत में जो भाषा प्रचलित होगी उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जैसे हिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी भाषा मातृभाषा के रूप में शामिल की जाएगी। वर्तमान में सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हिन्दी भाषा के विकल्प के रूप में इन्फार्मेशन प्रेक्टिसेस अथवा शारीरिक शिक्षा का चयन करने की छूट दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी का दसवीं कक्षा के बाद से मातृभाषा अथवा हिन्दी भाषा से संपर्क टूट जाता है। शिक्षण सत्र 2024-25 से कक्षा नवीं से भाषायी पाठ्यक्रम को लागू करने की योजना है। यदि उच्च शिक्षा की बात करें तो मध्यप्रदेश में स्नातक स्तर पर सभी विषय समूहों के लिए लागू आधारभूत पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा को तीन इकाइयों में विभाजित कर दिया गया है। इसके अध्यापन के लिए पूरे शिक्षण सत्र में मात्र 15 कालखण्ड ही दिए गए हैं। तिस पर हिन्दी भाषा के प्रश्नपत्र को वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र में बदल दिया है। परिणामस्वरूप स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का हिन्दी भाषा ज्ञान दोयम दर्जे का हो गया है। दूसरी ओर राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में हिन्दी भाषा अनिवार्य है। भाषा ज्ञान के अभाव में प्रदेश के विद्यार्थी स्पर्धा में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात पर है कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य के प्रश्नपत्र में प्रायोगिक और मौखिकी को दाखिल किया गया है, लेकिन हिन्दी साहित्य में न तो प्रायोगिक है और न ही मौखिकी है। हिन्दी भाषी प्रांत में स्नातक स्तर पर हिन्दी की घोर उपेक्षा का एक कारण यही समझ में आता है कि इसका सीधा संबंध अर्थ (पैसे) से जोड़ दिया गया है। नीति निर्धारकों ने परीक्षा व्यय में कटौती करने के लिए हिन्दी भाषा को बलि का बकरा बनाया है। पूर्व में हिन्दी भाषा का प्रश्नपत्र वर्णनात्मक आधार पर होता था। निजी महाविद्यालयों के हिन्दी के प्राध्यापक उत्तर पुस्तिकाएं जांचकर अपनी आजीविका में थोड़ा-सा इजाफा कर लेते थे। अब हिन्दी भाषा का प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ हो गया है। वह ओएमआर शीट पर हल हो जाता है। ओएमआर शीट को मशीन से जांच कर परीक्षा परिणाम तैयार हो जाता है। हिन्दी प्राध्यापक को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने से मुक्त कर दिया गया है। साथ में उसकी अतिरिक्त आजीविका पर भी रोक लगा दी गयी है। विद्यार्थियों से उनकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा छीन ली गयी है। थोड़े-से पैसे बचाने के लिए हिन्दी भाषा के विरोध में इतना बड़ा षड्यंत्र चुपचाप रच दिया गया। हिन्दी को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले स्वयंभू हिन्दी सेवकों के मुंह से इसका किसी स्तर पर कोई संज्ञान न लेना उनकी अज्ञानता और पाखंड का परिचायक है। वह समाज मृतप्राय है जिसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी भाषा की उत्तर क्रिया हो रही है और हम सब मूक दर्शक बनकर इसे होता हुआ देख रहे हैं।